कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन (म0प्र0)

//परिपत्र//

क्रमांक 06 /दो–12–7/2024 रायसेन दिनांक : 23 /07/2024

प्रायः यह देखा गया है कि तहसील न्यायालय बरेली, बेगमगंज, गैरतगंज, गौहरगंज, सिलवानी एवं उदयपुरा में कार्यरत् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा उपार्पित किए जाने वाले आपराधिक प्रकरणों को सत्र न्यायालय रायसेन को सीलबंद अवस्था में प्रेषित न किए जाकर खुली अवस्था में सीधे प्रेषित न कर कार्यालय के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। जबकि आपराधिक प्रकरण सत्र न्यायालय को उपार्पित किया जाता है। ऐसी स्थिति में खुली हुई अवस्था में प्रकरणों को प्रेषित किए जाने से उसमें संलग्न दस्तावेजों के दुरूपयोग होने की संभावना बनी रहती है।

साथ ही यह भी देखा गया है कि तहसील न्यायालयों से जो डाक जिला मुख्यालय को प्रेषित की जाती है, उनमें से अधिकांश डाक बंद लिफाफे में न होकर खुली अवस्था में प्राप्त होती है।

अतः तहसील न्यायालय बरेली, बेगमगंज, गैरतगंज, गौहरगंज, सिलवानी एवं उदयपुरा में कार्यरत् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को निर्देशित किया जाता है कि उनके न्यायालय द्वारा उपार्पित किए जाने वाले आपराधिक प्रकरणों को "सत्र न्यायालय रायसेन" में सीलबंद अवस्था में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें तथा तहसील न्यायालयों के प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि जिला मुख्यालय को डाक बंद लिफाफे में ही भेजना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

23/7/2024

(अनिल कुमार सोहाने)
OTC प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायसेन म.प्र.

E-mail

पृष्ठां.क्रमांक 3213/दो–12–7/2024 रायसेन दिनांक : 23 /07/2024

प्रतिलिपि :–

(1) प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग बरेली, बेगमगंज, गैरतगंज, गौहरगंज, सिलवानी एवं उदयपुरा।

(2) समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बरेली, बेगमगंज, गैरतगंज, गौहरगंज, सिलवानी एवं उदयपुरा।

(3) प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी/लेखापाल/प्रेषक लिपिक कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन।

(4) निज सहायक, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन।

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

23/7/2024

OTC प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायसेन म.प्र.